International Journal of Hindi Research
www.hindijournal.com
ISSN: 2455-2232
Received: 10-03-2021, Accepted: 10-04-2021, Published: 20-05-2021
Volume 7, Issue 3, 2021, Page No. 23-28

आर्द्रभूमि: रामसर कन्वेंशन एवं आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) अधिनियम 2017 के परिपेक्ष्य में

डॉ सुभाष भिमराव दोंदे
सहयोगी प्रोफेसर, जन्तु विज्ञान प्रभाग, किर्ती महाविद्यालय, दादर (प.) मुंबई, महाराष्ट्र, भारत

सारांश
आर्द्रभूमियों द्वारा प्रदान किए जाने वाले कई लाभ और सेवाएं सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं। रामसर कन्वेंशन की चौथी रणनीतिक योजना चार व्यापक लक्ष्यों और 19 विशिष्ट उपलक्ष्यों की पहचान करती है, जो एसडीजी की उपलब्धि के साथ-साथ जैविक विविधता कन्वेंशन द्वारा स्थापित किए गए लक्ष्य का सीधे समर्थन करती हैं। वैश्विक आर्द्रभूमि संरक्षण और पुनःप्रचलन को मजबूत करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय कार्यों और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए लगातार काम करना अनिवार्य है, ताकि आर्द्रभूमि प्रबंधन योजनाओं का कार्यान्वयन अधिक प्रभावी एवं कारगर ढंग से हो सके। इसे प्रबंधन, नीति, निगरानी, पुनःप्रचलन, ज्ञान और निधीकरण इन पांच अन्योन्याश्रित पहलुओं में किया जा सकता है। आर्द्रभूमियों के ज्ञानपूर्ण एवं स्थायी उपयोग के लिए रामसर कन्वेंशन इस विश्व के प्रथम पर्यावरण संधि को पांच दशक पूरे हुए किंतु राष्ट्र के स्तर पर सुसंगत अधिनियम एक दशक पूर्व ही बने है; जो आज तक केवल कागज पर ही रहे है। प्रस्तुत लेख में आर्द्रभूमि के समस्त पहलुओं की अनुसंधान से मिली सूचना के आधार पर रामसर संधि-पत्र (कन्वेंशन) एवं आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) अधिनियम 2017 के परिप्रेक्ष्य में समीक्षात्मक विश्लेषण किया है।

मूल शब्द: आर्द्रभूमि, रामसर कन्वेंशन, रामसर साइट, आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) अधिनियम 2017, एसडीजी, सविवेक उपयोग

प्रस्तावना

2 फरवरी 2021 को दुनियाभर में 50वा विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। इसी दिन आर्द्रभूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिये 'रामसर कन्वेंशन' का गठन हुआ था; जिसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय कार्यों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से सभी आर्द्रभूमि के संरक्षण और सविवेक उपयोग को बढ़ावा देना था। इस संधि को अब तक भारत सहित 171 देशों ने स्वीकार किया है। दुनिया भर में 254,540,512 हेक्टेयर भूमि पर फैली 2414 आर्द्रभूमियोंको रामसर संधि के तहत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण 'रामसर साइट' का दर्जा प्राप्त हुआ है। 2020 में, भारत मे पांच नई रामसर साइटें जोड़ी गई हैं; जिसके कारण यह संख्या बढ़कर अब 42 हो गयी है और यह कुल 10814.38 वर्ग किमी क्षेत्र में फ़ैली है।
हिमाचल प्रदेश का 'चन्द्र-ताल' झील दुर्लभ हिम तेंदुए, हिमालयन आइबेक्स और नीली भेड़ों का घर है। - गहिरमाथा समुद्र तट पर ओडिशा के भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में लुप्तप्राय ऑलिव्ह रिडले समुद्री कछुओं का दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञात नीड़न स्थल है। यह खारे पानी के मगरमच्छों और समुद्री डॉल्फ़िन की पांच प्रजातियों का भी घर है। मणिपुर राज्य में स्थित 'लोकतक' झील, उत्तर-पूर्व भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, जिसमें 116 से अधिक प्रजातियों के 20,000 जल पक्षी पाये जाते हैं, जिसमें स्पॉट-बिल्ड पेलिकन और ग्रेटर स्पॉटेड ईगल जैसे दुर्लभ पक्षी शामिल हैं। इस झील के दक्षिण-पूर्वी तट केइबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान का एक हिस्सा है, जो 'ब्रो-एंटलर हिरण' या 'संगई' का विश्व का अंतिम आश्रय स्थल है। आर्द्रभूमि के रूप में दुर्लक्ष एवं लुप्तप्रायः वन्य जीवों के यह सभी अंतिम आश्रय स्थल 'रामसर साइट' के नाम से जाने जाते है। जलीय एवं भौमिक पारिस्थितिक तंत्र के मिलाप या विलयन से आर्द्रभूमि बनती है। यह एक ऐसा भूभाग है जहाँ के पारिस्थितिक तंत्र का बड़ा हिस्सा स्थाई रूप से या प्रतिवर्ष किसी मौसम में जल से संतृप्त हो या उसमें डूबा रहे। रामसर कन्वेंशन, आर्द्रभूमि को 'दलदल, पीटलैंड या पानी के क्षेत्र के रूप में परिभाषित करता है, चाहे वह प्राकृतिक हो या कृत्रिम, स्थायी या अस्थायी, पानी के साथ जो स्थिर हो या बह रहा हो, मीठे, नूनखरा या नमक, जिनमें समुद्री जल के क्षेत्र शामिल हैं, निम्न ज्वार पर, जिसकी

गहराई छह मीटर से अधिक नहीं है। प्रस्तुत लेख में आर्द्रभूमि के समस्त पहलुओं की अनुसंधान से मिली सूचना के आधार पर रामसर संधि-पत्र (कन्वेंशन) एवं आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) अधिनियम 2017 के परिप्रेक्ष्य में समीक्षात्मक विश्लेषण किया है।

परिकल्पना
रामसर कन्वेंशन का गठन होने के चार-पांच दशक उपरांत 2017 में आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) अधिनियम 2017 का महज कोरे दस्तावेज़ के रूप में पारित होना और अब तक उसका परिपालन या क्रियान्वयन न होना यह आर्द्रभूमियों के प्रति उदासीनता एवं उपेक्षा का प्रतीक है।

क्रिया-विधि
प्रस्तुत लेख गुणात्मक विषय वस्तु विश्लेषण के दायरे में (qualitative content analysis) असंरचित और गैर-संख्यात्मक डेटा पर निर्भर रहकर समस्या के सटीक स्वरूप को हल करने के लिए प्राथमिक एवं प्रकाशित साहित्य या डेटा का समीक्षात्मक विश्लेषण है।

विचार विमर्श
(अ) आर्द्रभूमि- उपेक्षित पारिस्थितिक तंत्र
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण ऐसे 2414 वेटलैंड्स विभिन्न महाद्वीपों में असमान रूप से वितरित हुए हैं। यूरोप में इन स्थलों की संख्या सबसे अधिक है, जबकि सबसे बड़े क्षेत्र के वेटलैंड्स अफ्रीका का में पाये जाते है। जैव विविधता की दृष्टि से आर्द्रभूमियाँ अत्यंत संवेदनशील होती हैं; क्योंकि विशेष प्रकार की वनस्पति (जलीय पौधे) व अन्य जीव ही आर्द्रभूमि पर उगने और फलने-फूलने के लिए अनुकूलित होते है। वेटलैंड्स वैश्विक जलवायु को विनियमित करने, वैश्विक जल विज्ञान चक्र को बनाए रखने, पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता की रक्षा करने और मानव कल्याण की सुरक्षा में एक अद्वितीय भूमिका निभाते हैं। वेटलैंड पारिस्थितिकी तंत्र न केवल मानव के लिए प्रत्यक्ष सेवाएं ला सकते है, बल्कि मानव के लिए प्रत्यक्ष आर्थिक मूल्यों की वृद्धि भी कर सकते है। आर्द्रभूमि पारिस्थितिक सेवाओं का प्रति हैक्टर मूल्य सभी प्रकार के पारितंत्र सेवाओं में पहले स्थान पर है। वैश्विक पारितंत्र सेवाओं के कुल मूल्यों का लगभग आधा मतलब 47% हिस्सा केवल आर्द्रभूमि पारितंत्र सेवाओं से जुड़ा है। इसलिए समग्र पारिस्थितिक तंत्रों में से आर्द्रभूमि यह सबसे महत्वपूर्ण और सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है।

हालांकि, पिछली शताब्दियों में, आर्द्रभूमि पर महत्व जानने के बजाय, मनुष्यों ने आर्द्रभूमि को मच्छरों का एक आश्रयस्थल या गढ़, रोगों का संवाहक और मृत्यु के स्रोत के रूप में देखा है। इसलिए, शुरुआती बसने वाले उपनिवेशीयों ने और शुरुआती सरकारों ने बड़े पैमाने पर आर्द्रभूमि को भूमि पुनरुद्धार से प्राप्त करना शुरू कर दिया और इसके अंतर्निहित शक्ति का पूर्ण रूप से उपयोग करना शुरू कर दिया। मानवीय गतिविधियों और प्राकृतिक कारकों के दोहरे मिले जुले प्रभावों के कारण, दुनिया में आर्द्रभूमि का क्षेत्र घट रहा है और आर्द्रभूमि की गुणवत्ता दूषित हो रही है। आधे से अधिक वेटलैंड्स तीन या चार प्रभाव कारकों (55%) से प्रभावित होती हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव कारक प्रदूषण (54%), जैविक संसाधन उपयोग (53%), प्राकृतिक प्रणाली रूपांतरण (53%), और कृषि और मत्स्य पालन (42%) हैं। एक अनुसंधान के अनुसार। 1997 से 2011 तक प्रति वर्ष दलदल आर्द्रभूमि इकोसिस्टम सेवाओं का मूल्य 9.9 ट्रिलियन डॉलर घट गया, जो 2011 में चीन के सकल घरेलू उत्पाद के 1.4 गुना (यदि विनिमय दर 6.5 है) के बराबर था। यह अखंडनीय है कि आर्द्रभूमि के क्षरण से भारी आर्थिक नुकसान होगा। जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक समाधान के रूप में आर्द्रभूमि की भूमिका पर विज्ञान स्पष्ट है। ये पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़े वैश्विक भौमिक कार्बन कुण्ड (पुल) का प्रतिनिधित्व करते हैं। अनुमान बताते हैं कि आर्द्रभूमि ग्रह के कुल क्षेत्र का केवल 8-10% हिस्सा हैं; लेकिन कुछ 10-20% भौमिक कार्बन के प्रच्छादन (sequestering) द्वारा किसी भंडार (स्टॉक) के रूप में कार्य करते हैं। पीट-भूमि (पीटलैंड) हमारी दुनिया का सिर्फ 3% हिस्सा है। फिर भी वे 541 गीगाटन से अधिक कार्बन संग्रहित करते हैं जो कि सभी भूमि आधारित कार्बन का तीसरा अंश है। दलदल (बोग्ज) प्रति वर्ष 0.1 गीगाटन कार्बन अवशोषित करता है। अक्षत तटीय आर्द्रभूमि जैसे मैनग्रोव, समुद्री घास और ज्वारीय कच्छ भूमि (tidal-marsh) विशेष रूप से वायुमंडलीय कार्बन का प्रच्छादन करने में माहिर हैं। अनुसंधान से मिली सूचना के अनुसार मैनग्रोव प्रतिवर्ष 34 मिलियन टन कार्बन का प्रच्छादन करते है जो एक वर्ष में 26 मिलियन यात्री कारों द्वारा उत्सर्जित कार्बन के समतुल्य है। लेकिन भूमि रूपांतरण के कारण विक्षुब्ध होकर, ये आर्द्रभूमि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड जैसी शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैसों को उत्सर्जित करती हैं। यह दर्शाता है कि आर्द्रभूमि का संरक्षण एवं पुनःप्रचलन करना वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के संचय को अधोमुख (रिवर्स) करने का तरीका हो सकता है।

हरित क्रांति और कृषि के परिणामस्वरूप तीव्रीकरण ने उर्वरक का उपयोग 1973-74 के 2.8 मिलियन टन से बढ़ाकर 2010-11 में 28 मिलियन टन कर दिया। 2011 के कानपुर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था के अध्ययन अनुसार 10 से 15% पोषक तत्व मिट्टी के अंतर सतह जल प्रणालियों में जोड़े जाते हैं। इसमें कृषि अपवाह (run off) के साथ, अनुपचारित अपशिष्ट जल, आर्द्रभूमि के प्रदूषण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। पश्चिमी दुनिया में 80% की तुलना में भारत के 31% शहरी अपशिष्ट जल का उपचार किया जाता है। ये अधोगति कारक और लुप्त हो रहे आर्द्रभूमि भारत के लिए चिंता का कारण हैं जो चरम सीमा की किसी भी मौसम की घटनाओं के लिए सबसे छेद्य या भेद्य (vulnerable) देशों में से एक है।

जब चक्रवात बारंबार और तीव्र होते जा रहे हैं तो मैंग्रोव का महत्व अखंडनीय है। ये लवण सहिष्णु (salt tolerant) पौधे तूफानी बड़ी लहरों के झटके को अवशोषित करती हैं और इस तरह तटीय क्षेत्रों की रक्षा करती हैं। भारत में, मैनग्रोव का विस्तार कुल 487,775 हेक्टेयर क्षेत्र में पाया गया हैं; जिस में से 57% पूर्वी तट पर स्थित है। भारतीय तट प्रति वर्ष औसत 9 चक्रवात की संभावना देखी गयी है; जो 7 मिलियन परिवारों को प्रत्यक्ष जोखिम में डालती है। अंतर्देशीय (inland) आर्द्रभूमि बाढ़ को कम करने और भूजल पुनर्भरण में सहायक बनकर जलवायु परिवर्तन के खिलाफ तन्यकता (resilience) बनाने में मदद करती है। वे प्रकृति की फ़िल्टरन (filtration) प्रणाली हैं। जैसे ही सतह अपवाह आर्द्रभूमि से होकर गुजरती है, इसका प्रवाह पानी में घुली हुये द्रव्य को नीचे की ओर जाने की अनुमति देता है। आर्द्रभूमि के पौधे नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे अतिरिक्त पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं जो पानी की गुणवत्ता को बनाए रखते हैं। संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण ऐसे समय में महत्वपूर्ण है जब तटीय और उच्च ऊंचाई (altitude) वाले आर्द्रभूमि जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित होने का पूर्वानुमान किया जाता है। भारत में हिमालयी आर्द्रभूमि विशेष रूप से जोखिम में हैं। इसके परिणाम स्वरूप तटीय बाढ़, मीठे पानी और तटीय जलभृतों (aquifers**)** के लवणीकरण और तटीय समुदायों के लिए मीठे पानी की आपूर्ति को प्रभावित करने वाले तलछट (sediment) और पोषक तत्वों के स्तर में परिवर्तन को बढ़ावा देगा। डेविडसन (2014) ने एक चौका देने वाला तथ्य उजागर किया है कि दुनिया भर में 1700 के आर्द्रभूमि के मौजूदा क्षेत्रों से अब तक लगभग 87% से कम हो गई है, और यह गिरावट मुख्य रूप से 20 वीं और 21 वीं सदी की शुरुआती दौर में हुई है। 1973 से 2007 के बीच बेंगलुरु शहरी क्षेत्रों में 1,100 हेक्टेयर में फैले 66 आर्द्र क्षेत्रों को खो दिया है। चूंकि आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी प्रणालियों द्वारा प्रदान की जाने वाली अधिकांश सेवाओं का आर्थिक बाजार में कारोबार नहीं किया गया है, इसलिए आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी प्रणालियों के मूल्य को हितग्राही, सरकार और अवाम द्वारा उपेक्षित और अवप्राक्कलित करके या कम करके आंका जाता है। आर्द्रभूमि अभी भी नुकसान या दुर्दशा के खतरे का सामना कर रहे हैं।

(ब) रामसर संधिपत्र

कुछ समय पहले तक, यह माना गया था कि आर्द्रभूमि में न केवल जैव विविधता और पौधों और जानवरों की प्रजातियों के लिए निवास स्थान होते हैं, बल्कि कई पर्यावरणीय सेवाएँ या कार्य के लाभ भी मिलते हैं। इस प्रकार, आर्द्रभूमि नीति ने विकास को प्रोत्साहित करने से लेकर रक्षा और तर्कसंगत उपयोग में परिवर्तित होना शुरू कर दिया है। इस अनुभूति या संज्ञान परिवर्तन के संदर्भ में, 1971 में रामसर संधिपत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह न केवल आर्द्रभूमि संरक्षण और उसके सविवेक उपयोग की एक वैश्विक अंतर सरकारी संधि है, बल्कि दुनिया में पहला पर्यावरण समझौता भी है। रामसर कन्वेंशन का उद्देश्य आर्द्रभूमि पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करना, आर्द्रभूमि संस्कृति को बनाए रखना, और अंत में स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से सतत सामाजिक-आर्थिक विकास को साकार करना है। ईरान के रामसर शहर में १९७१ में पारित एक संधिपत्र के अनुसार आर्द्रभूमि ऐसा स्थान है जहाँ वर्ष में आठ माह पानी भरा रहता है। रामसर संधिपत्र के अन्तर्गत वैश्विक स्तर पर वर्तमान में कुल 2414 से अधिक आर्द्रभूमियाँ हैं। रामसर कन्वेंशन सचिवालय ने 1970 और 2015 के बीच उपलब्ध आंकड़ों के साथ वैश्विक आर्द्रभूमि की 35% की कमी की सूचना दी। निस्संदेह, इससे वेटलैंड पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के मूल्य में भी कमी आएगी। अपने देश में कुल 7,57,060 वेटलैंड हैं, जो 1.6 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हुए है। या भारत के कुल क्षेत्र का यह महज 4.5% क्षेत्र है। हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने घोषणा की थी कि रामसर कन्वेंशन ने भारत से 5 आर्द्रभूमि को 'अंतर्राष्ट्रीय महत्व' के स्थलों के रूप में घोषित किया है, जो देश में रामसर स्थलों (साइटों) की कुल संख्या को 42 तक ले गई है। जब कि इस वक्त में दुनिया भर में 2414 से अधिक रामसर साइट हैं, जो 2.1 मिलियन वर्ग किमी से अधिक क्षेत्र में फैली हुई हैं। मॉण्ट्रक्स रिकॉर्ड्स रामसर संधि का ऐसा रजिस्टर है, जिसके तहत विश्व की संकटग्रस्त

आर्द्रभूमियों को शामिल किया जाता है।इसके अनुसार भारत में केवलादेव (राजस्थान) और लोकताक झील (मणिपुर) खतरे में पड़ी आर्द्रभूमियाँ हैं। चिल्का झील (उड़ीसा) को इस रिकॉर्ड से बाहर कर दिया गया है। 'रामसर साइट' नामोद्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के लिए है जो न केवल देश या उन देशों के लिए महत्वपूर्ण मूल्य के रूप में पहचाने जाते हैं, जिनमें वे स्थित हैं, लेकिन धरती के समग्र रूप से मानवता के लिए महत्वपूर्ण होते है। इस सूची में एक आर्द्रभूमि को शामिल करना मतलब इसका पारिस्थितिक चरित्र कायम रखने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का प्रतीक है। रामसर संधि पत्र के तहत परिभाषित विभिन्न मानदंडों के आधार पर रामसर साइट का चयन किया जाता है। अनुच्छेद (दफा) 2.2 कहता है: "आर्द्रभूमि को पारिस्थितिकी, वनस्पति एवं जंतु विज्ञान, लिम्नोलॉजी या जलविज्ञान के संदर्भ में उनके अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आधार पर सूची के लिए चुना जाना चाहिए। आर्द्रभूमियों द्वारा प्रदान किए जाने वाले कई लाभ और सेवाएं सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं। रामसर कन्वेंशन की चौथी रणनीतिक योजना (2016-2924) चार व्यापक लक्ष्यों और 19 विशिष्ट उपलक्ष्यों की पहचान करती है जो एसडीजी की उपलब्धि के साथ-साथ जैविक विविधता कन्वेंशन द्वारा स्थापित किए गए लक्ष्य का सीधे समर्थन करती हैं।

(क) आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) अधिनियम, 2017

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 2006-2011 के दौरान भारतीय दूरस्थ संवेदी उपग्रहों का उपयोग करके एक राष्ट्रीय आर्द्रभूमि आविष्करण (इन्वेंटरी) और मूल्यांकन किया है और बाद में राष्ट्रीय और राज्य स्तर के आर्द्रभूमि आविष्करण मानचित्रावली (एटलस) के रूप में प्रकाशित किया है। जुलाई 2019 तक देश में कुल 757,060 वेटलैंड्स को मानचित्रित किया गया है। कुल आर्द्रभूमि क्षेत्र 15.26 मिलियन हेक्टेयर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 4.63% हिस्सा है। भारत में आर्द्रभूमि को आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) अधिनियम, 2017 के तहत नियंत्रित किया जाता है। 2010 के नियमों के संस्करण में सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का प्रावधान था, जिसे 2017 के नियमों के संस्करण ने राज्य-स्तरीय निकायों में बदल दिया और एक राष्ट्रीय आर्द्रभूमि समिति बनाई, जो एक सलाहकार की भूमिका में है। 2017 के नियमों के तहत, पूरी प्रक्रिया राज्यों को सौंप दी गई है। नए नियमों ने 'आर्द्रभूमि' की व्याख्या से कुछ वस्तुओं को हटा दिया, जिनमें अप्रवाही जल (बैकवाटर), अनूप या परिशोधन कुंड (लैगून), खाड़ी (क्रीक /एस्टुरीज) शामिल हैं।
देश में आर्द्रभूमि के संरक्षण और प्रबंधन के लिए आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 को अधिसूचित किए जाने के लगभग ढाई साल बाद, भारत सरकार का पर्यावरण मंत्रालय इसे राज्य सरकारों द्वारा लागू करने के लिये अब दिशानिर्देशों के समर्थन के साथ सामने आया है। दस्तावेज़ का उद्देश्य: 1) आर्द्रभूमि की सूची तैयार करने में राज्यों का मार्गदर्शन करना है; 2) आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 के तहत अधिसूचना के लिए आर्द्रभूमि की पहचान करना; 3) आर्द्रभूमि, आर्द्रभूमि परिसर और प्रभाव क्षेत्र को निरूपित करना 4) नियंत्रित और अनुमत होने वाली गतिविधियों की सूची विकसित करना; और 5) आर्द्रभूमि के रूप में जैव- विविधता के समृद्ध भंडार के लिए एक एकीकृत प्रबंधन योजना विकसित करना। दिशानिर्देशों में यह स्पष्ट किया गया है कि सभी वेटलैंड्स, चाहे उनके स्थान, आकार, स्वामित्व, जैव विविधता, या पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के मूल्यों के बावजूद, आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम 2017 के तहत अधिसूचित किया जा सकता है, सिवाय नदी के नहर (कनैल), धान के खेतों, पेयजल, एवं जलीय कृषि, नमक उत्पादन, मनोरंजन एवं सिंचाई के उद्देश्य से मानव निर्मित जलाशय और भारतीय वन अधिनियम, 1927, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 और तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना, 2011 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में गिरने वाले सभी आर्द्र क्षेत्र। 2017 के नियमों में सभी राज्यों में मंत्रियों, अधिकारियों और विशेषज्ञों को मिलाकर एक आर्द्रभूमि प्राधिकरण स्थापित करने का आह्वान किया गया था। प्राधिकरण आर्द्रभूमि और उनके प्रभाव क्षेत्र के भीतर अनुमत, नियंत्रित या प्रतिबंधित होने वाली गतिविधियों की एक सूची तैयार करेगा, संरक्षण रणनीतियों और आर्द्रभूमि के विवेकी (ज्ञानपूर्ण) उपयोग को परिभाषित करेगा। 2017 के नियमों के अनुसार, इन प्राधिकरणों को आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी-विज्ञान, जल-विज्ञान, मत्स्यकी (फिशरीज), परिदृश्य समरेखण (लैंडस्केप- प्लानिंग) और सामाजिक-अर्थशास्त्र के लिए एक-एक विशेषज्ञ नियुक्त करना था। आधुनिकतम दिशानिर्देशों ने सिफारिश की हितग्राही प्रतिनिधित्व को सक्षम करने के लिए नागरिक समाज से कम से कम एक सदस्य इस प्राधिकरण का सदस्य बनाया जाए । 2017 के नियमों ने यह भी जोर दिया था कि राज्य सरकारें आर्द्रभूमि के लिए केंद्रीय (नोडल) विभाग के रूप में विभाग नामित

करेंगी, जो सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगा और प्राधिकरण को सचिवालय के रूप में कार्य करेगा।
राज्यों के दिशा-निर्देश बताते हैं कि राज्य या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन प्राधिकरण और इसकी विभिन्न गतिविधियों के सुचारू संचालन के लिए बजट और मानव संसाधन आवंटित कर सकते हैं। प्राधिकरण और केंद्रीय विभाग एक संव्यावसायिक (पेशेवर) संस्थान या संगठन की पहचान कर सकते हैं जो उन्हें अपने विभिन्न कार्यों में मदद करेगा जैसे कि आर्द्रभूमि की सूची तैयार करना। इन दिशानिर्देशों को निर्धारित करने के लिये प्राधिकरण से जुड़े अधिकारीयों को एक वर्ष में कम से कम तीन बार मीटिंग बुलायेंगे। दिशानिर्देशों में कहा गया है कि अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि आर्द्रभूमि या तो उचित रूप से पंजीकृत हैं या अतिक्रमण या अवैध दावों से रक्षा के लिए भूमि राजस्व रिकॉर्ड में आर्द्रभूमि को पंजीकृत करने के लिए कदम उठाएं। दिशा-निर्देशों में कहा गया है, राज्य / केंद्र शासित प्रदेश इस तरह के आर्द्रभूमि आविष्करण (इन्वेंट्री) तैयार करने के लिए राज्य के रिमोट सेंसिंग एजेंसियों और स्थानीय विशेषज्ञों की सहायता ले सकते हैं।
वनों की तुलना में आर्द्र भूमियों के तेजी से लुप्त होने का कारण भारत में वनों की ऐतिहासिक और कठोर सुरक्षा है वैसे आर्द्रभूमि के लिए नही है। भारत में वनों को ऐतिहासिक रूप से औपनिवेशिक (colonial) काल से संरक्षित किया गया है, जबकि आर्द्रभूमि को लंबे समय से उपेक्षित रखा गया है। केंद्र सरकार ने 2012-13 तक पहचान किए गए आर्द्रभूमि के संरक्षण और प्रबंधन के लिए 'राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम' के तहत राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही थी। लेकिन बाद में, इसे राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना और एक नई योजना राष्ट्रीय योजना जलीय पारितंत्र (एक्वेटिक इकोसिस्टम) के संरक्षण के साथ मिला दिया गया। झीलों सहित आर्द्रभूमि के विभिन्न संरक्षण और प्रबंधन गतिविधियों के लिए अब तक केंद्र ने 9.69 अरब (बिलियन) रुपये की राशि राज्य सरकारों को जारी की गई है। अधिसूचित आर्द्रभूमि के प्रबंधन को 'ज्ञानपूर्ण या सविवेक-उपयोग' के सन्निकर्ष (the wise-use approach) पर आधारित होने की सिफारिश की जाती है क्योंकि वे मनुष्यों द्वारा संसाधनों के दोहन से प्रभावित होते हैं। 'सविवेक-उपयोग' दृष्टिकोण मानता है कि आर्द्रभूमि के नुकसान और निम्नीकरण को प्रतिबंधित करने के लिए लोगों और आर्द्रभूमि के बीच सहलग्नता (linkages) को शामिल करना आवश्यक है। 'सविवेक-उपयोग' सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि चिरस्थायी आधार पर इन पारिस्थितिक तंत्रों का मानव उपयोग उनके संरक्षण के साथ सुसंगत है। किन्तु यदि आर्द्रभूमि का उपयोग 'सविवेक-उपयोग' नहीं है" तो मानव "हस्तक्षेप" पारिस्थितिक तंत्र के घटकों और प्रक्रियाओं में प्रतिकूल परिवर्तन की ओर जाता है, जैसे कि आर्द्रभूमि में बहने वाले पानी में कमी, बाढ़ के दौरान क्षेत्र में जलप्लावन, जल धारण क्षमता, देशी प्रजातियों में विविधता या आर्द्रभूमियों का जल के छोटे-छोटे टुकड़ों में विखंडन, जल की गुणवत्ता में गिरावट, आक्रामक प्रजातियों का उद्भव, मछली और जलीय पौधों जैसे आर्द्रभूमि संसाधनों में गिरावट। उदाहरण के तौर पर एक शहरी झील के आर्द्रभूमि में, सौंदर्यीकरण के लिए तटरेखा के काँक्रिटीकरण जैसे हस्तक्षेप से सौंदर्य मूल्य और पर्यटन लाभ बढ़ेगा, लेकिन मानसून प्रवाह को समायोजित करने की क्षमता में कमी आएगी और इस तरह एक यह 'सविवेक-उपयोग' नहीं हो सकता है।
2017 के नियमों ने अधिसूचित आर्द्रभूमि के भीतर निषिद्ध गतिविधियों को सूचीबद्ध किया है, जैसे कि किसी भी उद्योग की स्थापना और मौजूदा उद्योगों का विस्तार, भवनिर्माण या भव विध्वंस से जुड़े कूड़े कचरे का निर्माण या हैंडलिंग या भंडारण या निष्कासन, घन कूड़ा (अपशिष्ट) क्षेपण,उद्योग, शहर, कस्बे, गाँव और अन्य मानव बस्तियोंसे अनुपचारित कचरे और अपशिष्टों का निर्वहन। पारिस्थितिक पुनर्वासन, अनुसंधान, पर्यावरण शिक्षा और भागीदारी गतिविधियों, आवास स्थान प्रबंधन और आर्द्रभूमि पर निर्भर प्रजातियों का संरक्षण, न्यूनतम निर्माण गतिविधियों के साथ समुदाय-आधारित पर्यावरणीय पर्यटन, पुनर्योजी (संपोषी) क्षमता के भीतर आर्द्रभूमि उत्पादों की कटाई, जलवायु परिवर्तन अल्पीकरण (mitigation) और अनुकूलन के लिए प्रकृति आधारित गतिविधियों अनुरूप आर्द्रभूमि को एकीकृत करना यह सब आर्द्रभूमियोंके 'सविवेक-उपयोग' का हिस्सा है।

उपसंहार

प्रत्येक महाद्वीप में आर्द्रभूमि की एक निश्चित संख्या के साथ रामसर संधि-पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं, इन आर्द्रभूमि का कुल क्षेत्रफल वैश्विक आर्द्रभूमि के 19% से कम है। इसलिए, रामसर कन्वेंशन इसके संरक्षण में शामिल होने के लिए दुनिया भर में और अधिक आर्द्रभूमियों का आह्वान करता है। वैश्विक आर्द्रभूमि संरक्षण और पुनःप्रचलन को मजबूत करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय कार्यों और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए लगातार काम करना अनिवार्य है, ताकि आर्द्रभूमि प्रबंधन योजनाओं का कार्यान्वयन अधिक प्रभावी एवं कारगर ढंग से हो सके। इसे प्रबंधन,

नीति, निगरानी, पुनःप्रचलन, ज्ञान और निधीकरण इन पांच अन्योन्याश्रित पहलुओं में किया जा सकता है।

जहाँ तक भारत की बात कहें तो आर्द्रभूमि के बारें में समाज के हर एक वर्ग में जागरूकता की कमी दिखाई देती है; जंगल एवं वन्य जीवों संबधी क़ानूनी सख्तियों के बारें मे काफी आम जागरूकता दिखाई देती है। उसी प्रकार आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) अधिनियम 2017 के बारें में अनपढ़ छोड़कर क्या पढ़े लिखे कुछ जानकारी रखते होंगे? यह सोचना भी अतिशयोक्ति पूर्ण लगता है। रामसर कन्वेंशन की तहत कुछ अतिविशिष्ट आर्द्रभूमियोंको 'रामसर साइट' के रूप में अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली और मॉण्ट्रक्स रिकॉर्ड्स के रजिस्टर के तहत उनको, संकटग्रस्त आर्द्रभूमियों में शामिल किया गया यह अत्यधिक जरूरी था किन्तु 2010 लेकर 2017 तक तत्पश्चात आज 2021 तक जो अधिनियम पारित किए गए ओ सिर्फ एक कोरा दस्तावेज के अलावा कुछ भी नही है। आर्द्रभूमि यह एक सबसे अव्वल नंबर की परिसंस्था होने जे बावजूद एवं दृश्य-अदृश्य स्वरूप से वसुंधरा के समस्त मानव प्राणियों के लिए सर्वाधिक पारितंत्र सेवाएं मोहिया कराने के बावजूद सबसे उपेक्षित है। कोई अधिनियम कारगर तभी साबित हो सकता है जब आम जनता अपने इलाके की आर्द्रभूमि की सुरक्षा एवं उसके सविवेक-उपयोग के बारे में संवेदनशील हो और सामुदायिक अभिवृत्ति एवं उत्तरदायित्व द्वारा इनके संरक्षण एवं प्रबंधन में सरकार के साथ कंधे से कंधे मिलाएं।

संदर्भ सूची

1. अग्रवाल मयांक (22 जनवरी, 2020) इंडियाज गाईडलाइन्स ऑन वेटलैंड्स विल एलोव स्टेट्स टू डिसाईड व्हॉट कॉउन्ट्स एज प्रोहिबिटेड एक्टीविटीज.स्क्रॉल.इन https://scroll.in/article/949988/indias-guidelines-on-wetlands-will-allow-states-to-decide-what-counts-as-prohibited-activities
2. डेविडसन निक सी. (2014) हौव मच वेटलैंड्स हैज़ दि वर्ड लॉस्ट? लॉन्ग टर्म एंड रिसेंट ट्रेंड्स इन ग्लोबल वेटलैंड्स एरिया. मारिन अँड फ्रेश वॉटर रिसर्च 65 (10): 934-941. doi.org/10.1071/MF14173
3. मराठे ओम (2020) एक्सप्लेण्ड: व्हाय वेटलैंड्स मैटर टू वर्ड एंड इंडिया. दि इंडियन एक्सप्रेस dated Feb 5; 2020.
4. रंगनाथन प्रिया (2020) ऑन प्रेकैरीयस पाथ. स्टेट ऑफ इंडियाज एनविरोनमेंट 2020 Pp: 138-139.
5. श्यु टिंग, वेंग बैशा, यान डेंघुआ & एट. अल. (2019) वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस: स्टेटस, थ्रेटस एंड फ्यूचर प्रोटेक्शन. इंटरनॅशनल जर्नल ऑफ एनविरोनमेंटल रिसर्च अँड पब्लिक हेल्थ 16 (10): 1818. doi: 10.3390/ijerph16101818
6. वेटलैंड्स एंड एसडीजी (5th जुलाई 2018) https://www.ramsar.org/